

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 जून 2018—जयेष्ठ 16, शक 1940

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जून 2018

क्र. एफ-1-5-2010-सात-शाखा-4ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) सम्पूर्ण नियमों में, जहां कहीं भी शब्द “आयुक्त, भू-अभिलेख तथा बंदोबस्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा आयुक्त एवं कलेक्टर” आए हों के स्थान पर, शब्द “आयुक्त, भू-अभिलेख तथा बंदोबस्त, प्रमुख राजस्व आयुक्त, राहत आयुक्त तथा आयुक्त एवं कलेक्टर स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2018

क्र. एफ-1-5-2010-सात-शाखा-4ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना
क्र. एफ-1-5-2010-सात-शाखा-4ए, दिनांक 6 जून 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

Bhopal, the 6th June 2018

F-1-5-2010-VII-4A.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Junior Administrative Service (Recruitment and Service Conditions of Service) Rules, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (6) Throughout the rules, the words “ Commissioner and Records and Settlement, Principal Revenue Commissioner and office of the Commissioners and Collectors”, wherever they occur, the words “Commissioner, Land Records and Settlement, Principal Revenue Commissioner, Relief Commissioner, and Office of the Commissioners and Collectors” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya pradesh,
SUNIL DUBEY, Dy. Secy.